30 03/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र औंकारसिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजूसिंह पुत्र औंकारसिंह दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें वादी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र औंकारसिंह है, एवं बतौर साक्ष्य महावीर सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत एवं भागीरथ मल पुत्र भगवान दास जाति अहीर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य महावीर सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत एवं भागीरथ मल पुत्र भगवान दास जाति अहीर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] नाम राजूसिंह पुत्र

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:48:01 IST
Reason: SelfAttested

औंकार सिंह अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र औंकार सिंह है की पुष्टि राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य महावीर सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत एवं भागीरथ मल पुत्र भगवान दास जाति अहीर के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम वासडी खुर्द पटवार हल्का वासडी खुर्द तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 5, 6, 7, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 85, 107, 111, 153, 154, 155, 156, 177, 178, 191 एवं 209 जमावन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम **राजूसिंह पुत्र औंकारसिंह** के स्थान पर **राजेन्द्र सिंह पुत्र औंकार सिंह** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज वदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:48:01 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)